अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
निदेशक कार्यालय

फा.सं.40-30/2025-स्था.।   30.04.2025

विषय: एम्स के केंद्रों में वैचारिक मतभेद सुलझाने हेतु एक समिति का गठन करने संबंधी।

एम्स, नई दिल्ली में "न्यूनतम शासन, अधिकतम सुशासन" की अवधारणा के अनुरूप, निर्णय लेने की अति विकेन्द्रीकृत संस्कृति है जिसमें केंद्रों के प्रमुखों को पर्याप्त वित्त एवं प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

हालांकि, ऐसे कई मामले हैं, जिनमें केन्द्र प्रमुखगणों एवं केंद्र में विभिन्न विभागों/इकाइयों के अध्यक्षगणों के मध्य मतभेद होते हैं जिनका समाधान केंद्र के भीतर नहीं होता है तथा इसके लिए बाहरी मध्यस्थता की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थितियों में शीघ्र निर्णय की सुनिश्चितता हेतु निम्नलिखित समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है:

1. संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) - अध्यक्ष
2. संकायाध्यक्ष (अनुसंधान) - सह-अध्यक्ष
3. केंद्र प्रमुखगण - सदस्य
4. संबंधित विभाग/इकाई के अध्यक्षगण - सदस्य
5. कुलसचिव (एम्स)- सदस्य-सचिव

केन्द्र प्रमुखगण इस प्रकार के किसी भी मामले को उक्त समिति के पास भेज सकते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि शीघ्र समाधान के लिए समिति का हस्तक्षेप आवश्यक है।

तथापि, सुशासन एवं बेहतर सौहार्द के हित में यह वांछनीय है कि केन्द्र अपने संबंधित आंतरिक मामलों को केन्द्र प्रमुख के स्तर पर सुलझाने का प्रयास करें तथा केवल अपवादस्वरूप मामलों को ही उक्त समिति को भेजा जाए।

(प्रो. एम. श्रीनिवास)
निदेशक

वितरण: (इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों को भी परिचालित करने के अनुरोध सहित)
1. संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
2. अपर निदेशक (प्रशासन)
3. चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
4. सभी केन्द्र प्रमुखगण/अध्यक्ष, एनसीआई झज्जर
5. सभी विभागाध्यक्षगण
6. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
7. प्रभारी आचार्य, कंप्यूटर सुविधा (इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित)

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI
OFFICE OF DIRECTOR

F. No. 40-30/2025-Estt.I 30.04.2025

Sub: Constitution of a committee to resolve difference of opinions in Centres of AIIMS reg.

In line with the concept of "Minimum govt, maximum governance", AIIMS New Delhi has a very decentralized culture of decision making, with the Chiefs of Centres being delegated substantial financial & administrative powers.

However, there are instances in which, the Chiefs of the Centres & Heads of various Departments / Units in the Centres have a difference of opinion, which is unresolvable within the Centre and needs external moderation. To ensure speedy decision making in such circumstances, it has been decided to constitute the following committee:

1. Dean (Academics) – Chairperson
2. Dean (Research) – Co-Chairperson
3. Chief of the Centre – Member
4. Head of the concerned department / unit – Member
5. Registrar (AIIMS) – Member Secretary

The Chiefs of the Centres may refer any such matter to the aforesaid committee, which they feel merits the intervention of the committee for a speedier resolution.

However, in the interest of good governance & better camaraderie, it is desirable that the Centres should endeavour to resolve their internal matters at the level of Chief of the Centre and only as an exception refer the matters to the said committee.

30/4/2025

Prof. M Srinivas
Director

Distribution (with a request to also circulate it to all officials under their control)

1. Dean/s (Academic, Research, Examination)
2. Addl. Director (Admin)
3. Medical Superintendent (AIIMS)
4. Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar
5. Heads' of all Departments
6. Sr. Financial Advisor
7. Prof. I/c Computer Facility (with a request to host the same on AIIMS Website)